सरकारी आदेश 2020-47 (कोविड-19 सरकारी आदेश संख्या. 44)

चूँिक, कुछ ही समय में कोरोनावायरस 2019 (कोविड-19), जो एक नई गंभीर तीव्र सांस की बीमारी है, शीघ्रता से पूरे इलिनॉय में फैल गया है इसलिए संघीय, राजकीय, और स्थानीय सार्वजिनक स्वास्थ्य अधिकारियों से कड़े मार्गदर्शन की आवश्यकता और बढ़ती सार्वजिनक स्वास्थ्य आपदा पर प्रतिक्रिया करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय की आवश्यकता है; और,

जबिक, कोविड-19 (COVID-19) श्वसन संचरण के माध्यम से लोगों में फैल सकता है, लक्षणहीन लोग वायरस को संचारित कर सकते हैं. और इस समय कोई भी प्रभावी उपचार या वैक्सीन नहीं है: और.

जबिक, 9 मार्च, 2020 को मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), ने COVID-19 के प्रकोप की प्रतिक्रिया में इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और.

जबिक, 1 अप्रैल, 2020 को, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को कोविड-19 (COVID-19) के विस्फोटक फैलाव के कारण, आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबिक, 30 अप्रैल, 2020 को, चूंकि कोविड-19 (COVID-19) का प्रसार जारी रहने की अपेक्षा, और संपूर्ण राज्य में परिणामी स्वास्थ्य प्रभावों के कारण, और अस्पताल शैया, ICU शैया, वेंटिलेटरों, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों और विषाणु यानि वायरस के परीक्षण की सामग्री की संभावित कमी को दूर करने के लिए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया था; और,

जबिक, 29 मई, 2020 को, इलिनॉय में कोविड-19 (COVID-19) के कारण हुई हजारों मौतों, मामलों में लगातार वृद्धि, अस्पताल शैयाओं, ER शैयाओं और वेंटिलेटरों की कमी का ख़तरा लगातार बने रहने, और पहले से बेहतर पर अभी-भी अपर्याप्त परीक्षण क्षमता के कारण, और विषाणु यानि वायरस के कारण हुए आर्थिक विनाश के कारण, मैंने पुनः इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और.

जबिक, 26 जून, 2020 को, अस्पताल संसाधनों पर जारी बोझ के कारण, कोविड-19 (COVID-19) के प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने के कारण, स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव के कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को एक बार पुनः आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबिक, 24 जलाई, 2020 को, कोविड-19 (COVID-19) के प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने और राज्य भर के लोगों द्वारा आगामी महीनों में जो लगातार जारी स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे उनपर विचार करते हुए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को एक बार पुनः आपदा क्षेत्र घोषित किया था (इस कार्यकारी आदेश में स्पष्ट की गईं पिछली उद्घोषणाओं, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्यबरनेटोरियल दिजास्टर पोक्लेमेशन्स) के साथा और

जबिक, कोविड-19 के प्रकोप के समय इसके प्रसार को रोकने या धीमा करने तथा COVID-19 महामारी के दौरान लोक स्वास्थ्य की रक्षा करने हेतु इलिनॉय राज्य के लिए लगातार तत्काल और महत्त्वपूर्ण उपाय करते रहना आवश्यक और उचित है; और,

जबिक, इलिनॉय बहाली (रेस्टोर इलिनॉय) इलिनॉय को दोबारा खोलने की एक पांच चरणों वाली योजना है, जो स्वास्थ्य मापों द्वारा मार्गदर्शित है और जिसमें प्रत्येक चरण में विशिष्ट व्यापारिक, शैक्षिक, एवं मन-बहलाव गतिविधियों को सावधानीपूर्वक बहाल करना शामिल है; और,

जबिक, इलिनॉय बहाली (रेस्टोर इलिनॉय) योजना इलिनॉय में चार स्वास्थ्य क्षेत्र स्थापित करती है, जिसमें से प्रत्येक क्षेत्र चरणबद्ध पद्धित से होते हुए स्वतंत्र रूप से एक से दूसरे चरण में जाने के योग्य है; और,

जबिक, 24 जलाई, 2020 को, चारों स्वास्थ्य क्षेत्र इलिनॉय बहाली (रेस्टोर इलिनॉय) योजना के चरण 4 में हैं; और.

जबिक, चरण 4 स्कूलों को इलिनॉय जन स्वास्थ्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ, IDPH) के मार्गदर्शन के अनुसार दोबारा खुलने और आमने-सामने का अनुदेशन प्रदान करने की अनुमित देता है; और,

जबिक, 4 जून, 2020 को, मैंने कार्यकारी आदेश 2020-40 जारी किया था जिसमें इलिनॉय के सभी सार्वजिनक एवं ग़ैर-सार्वजिनक स्कूलों को चरण 3 के दौरान आमने-सामने के सीमित अनुदेशन के लिए दोबारा खोले जाने की अनुमित दी गई थी और विद्यार्थियों, स्टाफ़, और आगंतुकों की सुरक्षा सिमित करने हेत स्कलों के लिए IDPH के मार्गदर्शन का पालन आवश्यक किया गया था और जबिक, 26 जून, 2020 को, मैंने कार्यकारी आदेश 2020-44 जारी किया था, जिसने चरण 4, जिसमें अधिकतम पचास लोगों के एकत्रण की अनुमित है, में जाने को समायोजित करने के लिए कार्यकारी आदेश 2020-40 को संशोधित किया था; और,

जबिक, मेरे अनुरोध पर और मेरे प्राधिकार के अंतर्गत, इलिनॉय राज्य शिक्षा बोर्ड (स्टेट बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन) और IDPH ने 2020-2021 स्कूली वर्ष के दौरान आमने-सामने के अनुदेशन के लिए स्कूलों को दोबारा खोला जाना अधिकतम संभव सुरक्षित बनाने की आवश्यकताओं और अनुशंसाओं के साथ परिवर्तनकालीन संयुक्त मार्गदर्शन (ट्रांज़िशन जॉइंट गाइडेंस) जारी किया था; और,

जबिक, 15 जुलाई, 2020 को, मैंने इलिनॉय बहाली (रेस्टोर इलिनॉय) के एक भाग के रूप में एक अद्यतित न्यूनीकरण योजना जारी की थी जो राज्य को ग्यारह स्वास्थ्य क्षेत्रों में विभाजित करती है पर इसका प्रीके-12 स्कूलों पर परिवर्तनकालीन संयुक्त मार्गदर्शन (ट्रांज़िशन जॉइंट ग**ाइडें**स) के लागू होने की योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं है;

अतः, इलिनॉय के राज्यपाल के रूप में मुझे प्राप्त शक्तियों द्वारा, और इलिनॉय के संविधान एवं इलिनॉय आपातकाल प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इलिनॉय एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट), 20 ILCS 3305 के अनुभागों 7(1), 7(2), 7(8), और 7(12), के अनुसरण में, और सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों में निहित शक्तियों की संगति में, मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूं जो 24 जुलाई, 2020 से प्रभावी होगा:

अनुभाग 1. इलिनॉय में प्री-किंडरगार्टन से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सेवाएं देने वाले सभी सार्वजिनक एवं असार्वजिनक स्कूल, नियमित 2019-2020 स्कूल सत्र पूरा हो जाने के बाद, आमने-सामने के शैक्षिक उद्देश्यों के लिए खोले जा सकते हैं। सभी सार्वजिनक एवं असार्वजिनक सस्कूलों को चरण 4 के दौरान IDPH और ISBE के मार्गदर्शन का पालन करना होगा और विद्यार्थियों, स्टाफ़, और आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अग्रसक्रिय उपाय करने होंगे, जिनमें निम्नलिखित सार्वजिनक स्वास्थ्य दिशानिर्देशामिल हैं पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- a. एक स्थान में लोगों की संख्या को पचास या कम पर सीमित करना।
- b. सामाजिक दूरी की आवश्यकताओं का अधिकतम संभव सीमा तक अनुपालन सुनिश्चित करना। इस कार्यकारी आदेश के प्रयोजनों से, सामाजिक दूरी में अन्य व्यक्तियों से कम-से-कम छः फुट की दूरी बनाए रखना और व्यक्तियों के बीच शारीरिक संपर्क को हतोत्साहित करना
- c. १६५५ ति भवैशं से पहले लक्षण स्क्रीनिंग एवं तापमान जांच आवश्यक करना या व्यक्तियों के लिए यह स्व-प्रमाणन आवश्यक करना कि वे कोविड-19 (COVID-19) के लक्षणों से मत्त हैं।
- से मुक्त हैं। d. उपयुक्त स्वच्छता परिपाटियां सुनिश्चित करना, जिनमें अधिकतम संभव बार हाथों को साबुन व पानी से कम-से-कम बीस सेकंड तक धोना या हैंड सेनिटाइज़र का उपयोग करना, खांसते या छींकते समय नाक व मुंह ढकना (आस्तीन या कोहनी में, न कि हथेलियों से), व्यक्तिगत वस्तुओं के

साझाकरण को हतोत्साहित करना, और बारंबार छुई जाने वाली सतहों को नियमित रूप से साफ एवं कीटाणुरहित करना शामिल है।

e. छात्रों, कर्मचारियों और आगंतुकों द्वारा उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग आवश्यक करना, जिसमें दो वर्ष से अधिक आयु के तथा चिकित्सीय दृष्टि से फ़्रेस कवर सहन कर सकने वाले व्यक्तियों द्वारा फ़्रेस कविरंग का उपयोग शामिल है। स्कूलों को, जो कर्मचारी सारे समय न्यूनतम छः फ़ीट की सामाजिक दूरी बनाए रखने में समर्थ नहीं हैं उन्हें फ़्रेस कवर प्रदान करने होंगे, और अधिकतम संभव सीमा तक सभी विद्यार्थियों के लिए फ्रेस कवर उपलब्ध कराने होंगे।

और अधिकतम संभव सीमा तक सभी विद्यार्थियों के लिए फ़ेस कवर उपलब्ध कराने होंगे। अनुभाग 2. यह कार्यकारी आदेश किसी भी अन्य पूर्व कार्यकारी आदेश के किसी भी विपरीत प्रावधान को उलट देता है। जो भी प्रावधान इस कार्यकारी आदेश के विपरीत नहीं हैं वे पूरी तरह से लागू रहेंगे। अनुभाग 3. यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर इसके अनुप्रयोग को सक्षम अधिकार-क्षेत्र के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी भी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करती है, जिसे अमान्य प्रावधान या अनुप्रयोग के बिना प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को गंभीर घोषित किया गया है।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल

(गवर्नर)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा जारी २४ जुलाई, २०२० राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा दायर २४ जुलाई, २०२०